

E-Mail

From:

Dinesh Gupta, H.J.S.
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To:

All the District Judges,
Subordinate to the High Court of Judicature at
Allahabad.

C.L.No. 13 /III-C- I/Admin. (F)/Dated: Allahabad: 11-3-2011.

Subject: Election-2011 of Members of the U.P. Bar Council under the
Advocates Act, 1961.

Sir,

I am directed to say on the above subject that the Election-2011 of the U.P. Bar Council under the Advocates Act, 1961 is scheduled to be held from 18.04.2011 to 30.04.2011(copy of Election Notification – 2011 is enclosed herewith).

In this connection the Court has been pleased to ask you to depute one Additional District Judge at District Headquarter alongwith necessary staff's (where there is no Additional District Judge next senior most Judicial Officer) and a senior Judicial Officer at the out lying Tehsil Headquarter for conducting the election of the bar Council on the specified dates as given in Election Notification – 2011.

Enclosure :- as above.

Yours faithfully,

Registrar General.

No. 4429 /III-C- I/Admin. (F)/Dated: Allahabad: 11-3-2011.

Copy forwarded to:-

1. The Returning Officer, Bar Council of U.P. Allahabad Election-2011, for information in reference to D.O. Letter dated. 19.02.2011.
2. ✓ The In charge, Computer Center, High Court, Allahabad.

By order of the Court,

11.3.2011
Registrar (Budget).

बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश,
19, महर्षि दयानन्द मार्ग,
इलाहाबाद।

निर्वाचन-2011

विज्ञापित संख्या: 2/2010

दिनांक: 18.12.2010

एडवोकेट्स अधिनियम, 1961 की धारा : 15 (2) (ए) के अधीन निर्मित निर्वाचन नियमावली, 2011 के अर्न्तगत निर्मित नियम : 6 के अनुसार सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के 25 (पच्चीस) सदस्यों के निर्वाचन के लिये, जिनमें से एडवोकेट्स एक्ट की धारा: (3)-2 (बी) के अनुसार 12 (बारह) सदस्यों का दिनांक: 01.02.2011 को कम से कम 10 वर्षीय अनुभव का एडवोकेट होना आवश्यक है, क्रमशः नामांकन पत्रों की प्राप्ति, उनकी जांच, वापसी, मतदान एवं मतगणना की निम्नलिखित तिथियां तथा स्थान निर्धारित किये जाते हैं :-

1. नामांकन पत्रों की प्राप्ति की तिथियां

दिनांक: 05 फरवरी, 2011 से 14 फरवरी, 2011 (प्रारम्भ)

एवं अन्त की दोनों तिथियां शामिल करके सचिव, बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश, 19, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद के पास सायं 05:00 बजे तक पहुंच जाये।

2. जांच की तिथियां एवं समय :

दिनांक: 15 फरवरी, 2011 से 19 फरवरी, 2011 को दिन के 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक बार कौंसिल के कार्यालय, 19, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद में।

3. वापसी की अन्तिम तिथि एवं समय:

वापसी की अन्तिम तिथि दिनांक: 24 फरवरी, 2011 सायं 05:00 बजे तक।

4. (अ) मतदान केन्द्र एवं मतदान की तिथियां:

दिनांक 18 एवं 19 अप्रैल, 2011 को निम्नलिखित जनपद मुख्यालय एवं जनपद की आउटलाइंग मुंसिफ कोर्ट में मतदान प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक होंगे :-

आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, इलाहाबाद, आजमगढ़, औरैया, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, चंदौली, चित्रकूट।

(ब) मतदान केन्द्र एवं मतदान की तिथियां:

दिनांक 22 एवं 23 अप्रैल, 2011 को निम्नलिखित जनपद मुख्यालय एवं जनपद की आउटलाइंग मुंसिफ कोर्ट में मतदान प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक होंगे :-

देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, ज्योतिबाफुले नगर।

(स) मतदान केन्द्र एवं मतदान की तिथियां:

दिनांक 25 एवं 26 अप्रैल, 2011 को निम्नलिखित जनपद मुख्यालय एवं जनपद की आउटलाइंग मुंसिफ कोर्ट में मतदान प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक होंगे :-

कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कांशीराम नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मीरजापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर।

(द) मतदान केन्द्र एवं मत

दिनांक 29 एवं 30 अप्रैल, 2011 को निम्नलिखित जनपद मुख्यालय एवं जनपद की आउटलाइंग मुंसिफ कोर्ट में मतदान प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक होंगे :-

पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी।

नोट:-

1. इलाहाबाद में मतदान प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रांगण 19, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद में सम्पन्न होगा।
2. लखनऊ में मतदान प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक हाईकोर्ट, खण्डपीठ लखनऊ के प्रांगण में सम्पन्न होगा।

5. मतपत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि :

दिनांक: 02 मई, 2011 तक सभी मतपेटियां सचिव, बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, 19, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद को प्राप्त हो जाये।

6. मतगणना के समय, स्थान एवं तिथियां :

मतगणना दिनांक: 05 मई, 2011 से प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक बार कौंसिल के कार्यालय, 19, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद में होगी, जब तक कि गणना की समाप्ति न हो जाये।

आवश्यक निर्देश एवं सूचना :

- (क) नामांकन पत्र बार कौंसिल की सदस्यता हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम मतदाता द्वारा अपने हस्ताक्षर से निर्धारित परिपत्र पर प्रस्तावित किया जायेगा जो बार कौंसिल के सचिव को प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा ताकि नामांकन के अन्तिम तिथि को प्राप्त हो जाये। प्रत्येक प्रस्ताव पर प्रस्तावित उम्मीदवार की सहमति आवश्यक है। एक प्रस्तावक निर्धारित सदस्यों की संख्या से अधिक व्यक्तियों का प्रस्ताव नहीं कर सकता है।
- (ख) पुनः सूचित किया जाता है कि नियमों के अन्तर्गत निर्धारित फार्म पर ही नामांकन मान्य होंगे जो बार कौंसिल कार्यालय से दस रुपये का भुगतान करके लिये जा सकते हैं।
- (ग) प्रत्येक चुनाव प्रत्याशी को सचिव के पास रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) का बैंक ड्राफ्ट "सचिव, बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद" के नाम जमा करना होगा। यदि किसी प्रत्याशी के लिये एक से अधिक नामांकन -पत्र प्राप्त होते हैं तब भी केवल मु0 रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) की जमा धनराशि पर्याप्त होगी।
- (घ) एडवोकेटस एक्ट की धारा 3 (2) (बी) से व्यवस्थित 10 वर्ष के अनुभव को गणना के लिये वह अवधि जिसमें कोई अधिवक्ता इण्डियन बार कौंसिल एक्ट, 1926 के अन्तर्गत किसी अन्य बार कौंसिल या बार कौंसिलों के रोल पर अथवा किसी हाईकोर्ट या हाईकोर्ट के रोल पर रहा है, शामिल कर ली जायेगी।
- (च) नामांकन - पत्र की वापसी।

यदि कोई व्यक्ति अपना नामांकन - पत्र वापस करना चाहता है तो नियम 6 के अन्तर्गत सचिव को लिखकर अन्तिम तिथि के अन्दर ऐसा कर सकता है। वापस करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर किसी जज या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

(प्रेम नाथ त्यागी)

सचिव,
बार कौंसिल उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।